सं0–423/XXVIII(3) 5–2005–192/2004

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
बागेश्वर ।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादून: दिनांक 13 अक्टूबर, 2005

विषय: प्रा0स्वा0 जलमानी, जनपद बागेश्वर भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल के पत्र सं0–7प/1/एस0एस0डी0/102/2002/ 21811 दिनांक 23.09.2005 के संदर्भ में तथा शासनादेश सं0 980/ XXVIII–(3)–2004–192/2004 दिनांक 23.02.2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्रा0स्वा0केन्द्र जलमानी जनपद देहरादून के भवन निर्माण को पूर्ण करने हेतु संलग्नकानुसार रू0 30,27,000.00 (रू0 तीस लाख सत्ताईस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तानुसार प्रदान करते हैं ।

2– प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जायेगा ।

3– उक्त धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित की जायेगी तथा निर्माण इकाई क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0समाज कल्याण निर्माण निगम, उत्तरांचल को उपलब्ध करायी जायेगी । कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये । स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा । अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा ।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित [illegible] संख्या व दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी । स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश की सभी शर्ते यथावत रहेंगी ।

5– स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट मैनुअल व शासन द्वारा मितव्ययता के संबंध में समय समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

6– धनराशि उन्हीं योजनाओं में व्यय की [illegible] जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है ।

7– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक [illegible] प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह की 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी [illegible] ।

8– धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान रखकर किया जाय ।

9– उक्त व्यय वर्ष 2005–06 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या–12–के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें –103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–01 [illegible] योजना –9101–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना (जिला योजना) 24– वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

10— ये आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0 932/ वित्त अनुभाग–2/2004 दिनांक 07.10.2005 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

सं0– 423/xxviii–(3) 5–2005–192/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून।
2— निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
3— कोषाधिकारी, बागेश्वर।
4— जिलाधिकारी, बागेश्वर।
5— महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल।
6— बजट, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय सचिवालय देहरादून।
7— क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0समाज कल्याण निर्माण निगम उत्तरांचल।
8— निजी सचिव मा0मुख्यमंत्री।
9— वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
10— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव

शासनादेश सं0–42 /XXVIII–(3)5–2005–102/2004 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	जनपद	लागत	अब तक अवमुक्त की गयी धनराशि	वर्ष 2005–06 में स्वीकृत धनराशि
1	प्रा0स्वा0के0 जलगामी का भवन निर्माण ।	बागेश्वर	40.86	रू0 10.59	30.27

(रू0 तीस लाख सत्ताईस हजार मात्र)

(अतर सिंह)
उप सचिव